"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 —— कार्तिक 6, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 48/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-87/2017/वाक/पांच(153) – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल के प्रदायों को समझे गए निर्यातों के रुप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल का प्रदाय
3	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017–सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण का प्रदाय

स्पष्टीकरण :-

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है ।

2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है।

3. "निर्यातोन्मुख यूनिट"से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10- 87 /2017/वाक/पांच(153). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- 87/2017/वाक/पांच(153), दिनांक 18-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th October 2017

NOTIFICATION
No. 48/2017-State Tax

No. F-10-87/2017/CT/V(153). — In exercise of the powers conferred by section 147 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely :-

TABLE

S. No.	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 (as amended) against Advance Authorisation.

Explanation :-

For the purposes of this notification, –

1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.

2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.

3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 47/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-87 /2017/वाक/पांच(154). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम 2017 है ।

(2) ये उनके जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 में,

(i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रुप में माने गए प्रदायों के बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, --

(क) समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता ; या

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी प्रदायों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि प्रदायकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता";

(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में,"तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्,"या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में,

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-